स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन

ई-अपशिष्ट प्रबंधन

E-Waste Management

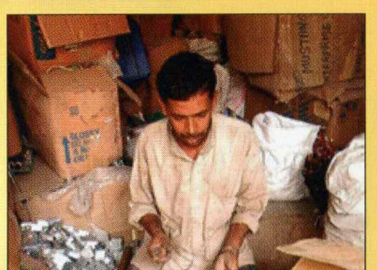

इन अपशिष्टों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से युक्ति संगत सही प्रबंधन करें

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पोस्ट-सदाकत आश्रम, पटना-10

दूरभाष नं०-0612-2261250/2262265, फैक्स-0612-2261050

ई.मेल-bspcb@yahoo.com, वेबसाईट-http://bspcb.bih.nic.in.

ई० अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022

ई० अपशिष्ट (E-waste): सौर फोटोबोल्टिक–मॉड्यूल या पैनल या सेल सहित विद्युत एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरण, जो अपशिष्ट एवं कचरे के रूप में उपभोक्ताओं द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से त्याग दिये गये हैं, साथ ही जिन्हें विनिर्माण, नवीनीकरण और मरम्मति प्रक्रियाओं से खारिज एवं अस्वीकार कर दिये गये हों, को ई० अपशिष्ट (E-waste) के रूप में परिभाषित किया गया है।

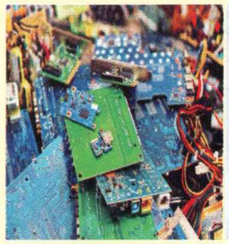

ई० अपशिष्ट (E-waste)

Dismantled & Segregated e-waste

ई० कचरे से बहुमूल्य एवं उपयोगी सामग्रियों को पर्यावरण के अनुकूल प्राद्यौगिकी से भंजन अथवा पुनर्चक्रण अथवा परिशोधन (Disposal and Treatment) करने में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें।

ई० अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से समुचित प्रबंधन की आवश्यकता:

ई0 अपशिष्ट में शामिल धातुएँ यथा–लेड, पारा, निकेल, कैडमियम, क्रोमियम आदि विषाक्त प्राकृति की होती हैं, जिनका समुचित तरीके से निस्तारण नहीं किये जाने से हमारा पर्यावरण तो कुप्रभावित होता ही है, साथ ही इसके संपर्क में आने वाले प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। उपर वर्णित धातुओं से मानव स्वास्थ्य पर निम्न प्रकार कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना होती है:–

लेड- लेड शरीर में जीवन के लिए आवश्यक उर्जा प्रदान करने में उपयोगी ऑक्सीजन व ग्लूकोज के इस्तेमाल को रोकता है। मानव रक्त में लेड की उच्च मात्रा (प्रतिदिन दस लाख भाग में दशमलव आठ (.8) भाग) के कारण हेमोग्लोबीन की कमी यानि रक्ताल्पता का कारण बन सकता है। इसकी ज्यादा मात्रा हमारी किडनी व दिमाग को भी दुष्प्रभावित कर सकता है।

पारा- पारा की उच्च मात्रा मनुष्य की किडनी एवं लीवर को छति पहुँचा सकती है। इसके प्रभाव से रोग निरोधक क्षमता को प्रभावित करता है तथा मांस पेशियों में ऐठन उत्पन्न करता है।

निकेल- निकेल की उपस्थिति कैंसर व त्वचा एलर्जी का कारण बन सकता है;

कैडमियम- कैडमियम की अधिकता मनुष्य की हड्डी व फेफड़े को प्रभावित कर सकता है;

क्रोमियम- क्रोमियम की उपस्थिति युवाओं में मानसिक विकार उत्पन्न कर सकता है।

ऐसे ई० अपशिष्टों का लापरवाहीपूर्वक यत्र–तत्र फेंके जाने पर ये वहां से बहते नाले जल/वर्षा जल में मिलकर वहां की मिट्टी, भूमि के सतह पर के जल तथा नीचे रिसने पर भू–गर्भीय जल को विषाक्त बना सकते हैं।

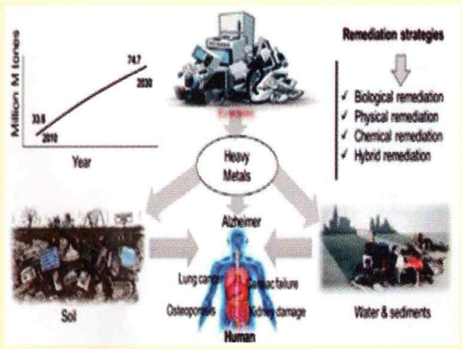

इनके सुरक्षित निस्तारन से संबंधित प्रबंधन की नितांत आवश्यकता को देखते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत् भारत का राजपत्र सं0–713, दिनांक 02.11.2022 द्वारा ई0 अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 को विलोपित करते हुए ई0 अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2022 को संशोधित रूप में अधिसूचित किया गया है। प्रासंगिक अधिसूचना में विभिन्न हितधारकों के उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए उनकी परिभाषा अभिप्रेत किया गया है ताकिं ई0 अपशिष्ट का निस्तारण सुदृढ़ पर्यावरणीय प्रबंधन के तहत् निर्धारित दिशा–निदेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिसूचना दिनांक 01.04.23 की तिथि से लागू होगी।

परिभाषाएँ (Definitions)

1. **बड़े-उपभोक्ता (Bulk-consumer)-** ऐसा उपभोक्ता इकाई, जो प्रासंगिक नियमावली की अनुसूची–I में निर्दिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का विशिष्ट वित्तीय वर्ष में कम से कम 1,000 इकाईयों का उपयोग करते हों, को बड़े–उपभोक्ता के रूप में परिभाषित किया गया हैं;
2. **विस्तारित-निर्माता-उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility)-** प्रासंगिक नियमावली की अनुसूची–I में निर्दिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रोनिक उपकरणों एवं उपस्करों के किसी भी विनिर्माता और उत्पादक की उत्तरदायित्व/जवाबदेही से अभिप्रेत है, जो अनुसूची– III एवं अनुसूची–IV के अनुसार पुनर्चक्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिये सिर्फ ई0 अपशिष्ट से संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्त्ताओं के माध्यम से ऐसे अपशिष्ट का पर्यावर्णीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन सुनिश्चित करने का कार्य किये जाने से अभिप्रेत है;
3. **विनिर्माता (Manufacturer)**– ऐसी इकाई या कंपनी या व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 (का 18) या कारखाना अधिनियम, 1948 (का 63) या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विकास अधिनियम, 2006 (का 27) के तहत् परिभाषित उद्यम हैं तथा प्रासंगिक नियमावली की अनुसूची–I में निर्दिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के विनिर्माण की सुविधाएँ विद्यमान हैं, विनिर्माता के रूप में परिभाषित हैं;
4. **उत्पादक (Producer)**– ऐसा व्यक्ति या इकाई जो विद्युत और इलेक्ट्रोनिक उपकरणों, उनके घटकों या उपभोग्य (Consumable) सामग्रियाँ या पुर्जों का विनिर्माताओं या आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा उत्पादित पार्ट्स–पुर्जों या कल–पुर्जों का आयात या आयातित की बिक्री अथवा आपूर्ति स्वयं के ब्राण्ड के नाम पर अथवा बिक्री की तकनीक की परवाह किये बिना डीलर, रिटेलर एवं ई0 रिटेलर आदि के माध्यम से अपना कारोबार करते हैं, उसे उत्पादक के रूप में परिभाषित किया गया हैं;
5. **ई० फुटकर बिक्रेता (E-Retailer)**– ऐसा व्यक्ति या कम्पनी या व्यवसायिक इकाई, जो अपने माल (उपकरणों) की बिक्री के लिए इन्टरनेट, सोशल मीडिया, टेलीफोन अथवा अन्य मीडिया (जैसे Electronic network) का उपयोग करती है, को फुटकर बिक्रेता के रूप में परिभाषित किया गया है;
6. **ऐतिहासिक ई० अपशिष्ट (Historical E-waste)**– प्रासंगिक नियमावली की अनुसूची–I में निर्दिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रोनिक उपकरणों, जो इस नियमों के लागू और प्रवृत्त होने की तारीख को उपलब्ध था, ऐतिहासिक ई0 अपशिष्ट परिभाषित है;
7. **अवधि-समाप्ति (End-of-life)**– वह समय जब उपभोक्ता द्वारा इन्हें त्यागने का आशय बना लिया गया हो, वह समय "अवधि–समाप्ति" के रूप में परिभाषित है;
8. **लावारिस उत्पाद (Orphaned Product)**– प्रासंगिक नियमावली की अनुसूची–I में निर्दिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रोनिक उपकरण या किसी अन्य कम्पनी द्वारा उत्पादित उपकरण जो ब्राण्डेड अथवा गैर– ब्राण्डेड है, परन्तु उस कम्पनी का संचालन बंद कर दिया गया है, तो वैसे उत्पाद को लावारिस उत्पाद से परिभाषित किया गया है;
9. **विघटनकर्त्ता/भंजक (Dismentler)-** ऐसा व्यक्ति अथवा संस्था, जो उपयोग में लाये गये विद्युत एवं इलेक्ट्रोनिक उपस्करों से उनके घटकों (Components) को नष्ट करने में संलग्न हैं तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा–निदेशों के अनुरूप राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया हो, विघटनकर्त्ता के रूप में परिभाषित है;
10. **पुनर्चक्रणकर्त्ता (Recycler)**– ऐसा व्यक्ति अथवा इकाई जो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य उपयोगी वसूली योग्य सामग्रियों सहित कीमती, अर्ध–कीमती धातुओं की वसूली के लिये अपशिष्ट विद्युत एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरणों या असेंबलिंग या उनके घटकों या उनके भागों के पुनर्चक्रण और पुनर्संसाधन कार्य में संलग्न है तथा जिन्हें द्वितीयक खट्टे पदार्थों को मजबूत किया जा सके और इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत दिशा–निदेशों में वर्णित सुविधाओं का उपयोग करता है, को पुनर्चक्रणकर्त्ता के रूप में परिभाषित किया गया है;
11. **नवीनीकरणकर्त्ता (Refurbisher)**– ऐसा व्यक्ति या इकाई जो मूल रूप से इच्छित जीवन पर इनका कामकाजी जीवन का विस्तार करने एवं मूल रूप से इच्छित उपयोग करने तथा बेचने के लिये प्रासंगिक नियमावली की अनुसूची–I में निर्दिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रोनिक उपकरणों की मरम्मती अथवा असेम्बलिंग करता है, नवीनीकरणकर्त्ता के रूप में परिभाषित हैं;

12. **विस्तारित-निर्माता-उत्तरदायित्व संस्था (PROs)**– प्रासंगिक नियमावली की अनुसूची–I में निर्दिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के निर्माता एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकृत ऐसी संस्थाएँ, जो विस्तारित–निर्माता–उत्तरदायित्व के तहत् निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप ई0 कचरे का एकत्रिकरण एवं परिवहन कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्त्ता तक पहुँचाने का कार्य सुदृढ़ पर्यावरणीय प्रबंधन के तहत् करते हैं, को विस्तारित–निर्माता–उत्तरदायित्व संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है;

13. **निपटान एवं परिशोधन (Disposal and Treatment)**– ऐसा संचालन (Operation) जिसमें ई0 अपशिष्ट का पुनर्चक्रण या रिकवरी या पुनः उपयोग नहीं होता हो तथा जो पुनः उपयोग का करण नहीं बनता हो एवं इस संचालन में फिजियो–केमिकल या जैविक–उपचार या भस्मीकरण या सुरक्षित भूमि–भराई का कार्य शामिल नहीं किया गया हो, निपटान एवं परिशोधन के रूप में परिभाषित है।

उत्तरदायित्व (Responsibility)

(1) **विनिर्माता (Manufacturers)**:–

(क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना;

(ख) विद्युत एवं इलेक्ट्रोनिक के उत्पादन प्रक्रिया से जनित कचरे का निस्तारण या पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना;

(ग) वार्षिक एवं तिमाही ई० कचरा विवरणी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित पोर्टल के माध्यम से उक्त तिमाही या वर्ष के बाद के महीने के अंत पर या उससे पहले फाईल/समर्पित करना।

(2) **उत्पादक (Producer)**:–

(क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना;

(ख) प्रासंगिक नियमावली की अनुसूची–III एवं IV के अनुरूप उत्तरदायित्व लक्ष्यों को हासिल करने और उन्हें कार्यान्वित करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित पोर्टल का उपयोग करना;

(ग) मीडिया, विज्ञापन, पोस्टर, अन्य प्रकाशन अथवा संचार माध्यम से जागरूक्ता पैदा करने का प्रबंधन सुनिश्चित करना;

(घ) वार्षिक एवं तिमाही ई0 कचरा विवरणी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित पोर्टल के माध्यम से उक्त तिमाही या वर्ष के बाद के महीने के अंत पर या उससे पहले फाईल करना।

(3) **नवीनीकरणकर्त्ता (Refurbisher)**:–

(क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना;

(ख) विद्युत एवं इलेक्ट्रोनिक अपशिष्ट के नवीनीकरण प्रक्रिया से जनित कचरे का निस्तारण या पुनर्चक्रण हेतु पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्त्ता को सौपना एवं तत्संबंधित जानकारी पोर्टल पर देना;

(ग) नवीनीकृत उपकरणों की गुणवत्ता भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार होंगे, तत्संबंधित प्रयोजन के लिये इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अनिवार्य पंजीकरण योजना सुनिश्चित करना।

(4) **पुनर्चक्रणकर्त्ता (Recycler)**:–

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना;

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट मानकों या दिशा–निदेशों के अनुरूप पुनर्चक्रण प्रक्रियाएँ एवं सुविधा सुनिश्चित करना;

(3) पुनर्चक्रण की सुविधा में जनित अपशिष्ट का पुनर्नवीनीकरण नहीं किये गये अंशों या सामग्री को संबंधित पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्त्ता को भेजना;

(4) पुनर्चक्रण प्रक्रिया से जनित अवशेषों के निपटान एवं परिशोधन हेतु अधिकृत भण्डारण निपटान सुविधा में सौंपना;

(5) एकत्रित, विघटित, पुनर्चक्रित एवं पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्त्ता को भेजे गये अपशिष्ट का रिकॉर्ड बनाए रखना एवं जब भी अपेक्षित हो सत्यापन/लेखापरीक्षा के लिये उपलब्ध कराना;

(6) ई० कचरा विवरणी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित पोर्टल के माध्यम से वार्षिक एवं तिमाही उक्त तिमाही या वर्ष के बाद के महीने के अंत पर या उससे पहले विवरणी फाईल करना;

(7) प्रासंगिक नियमावली की अनुसूची–I में सूचिबद्ध नहीं किये गए विद्युत एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के अपशिष्ट को स्वीकार करना, बशर्ते की वे रेडियोधर्मी सामग्री न हो। स्वीकार किये गए इन अपशिष्टों को पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करना;

(8) मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों अथवा संचार के अन्य माध्यमों द्वारा इस संबंध में जागरूकता पैदा करना;

(9) किसी भी गैर–पुनर्नवीनीकरण योग्य ई0 कचरे एवं अपशिष्ट अथवा किसी भी मात्रा के बारे में जानकारी एवं सूचना का लेखा–जोखा पोर्टल पर अपलोड करना, जिसे पुनर्नवीनीकरण या निपटान नहीं किया गया है;

(10) संबंधित डिस्मेंटलर्स से उचित सामग्री प्रवाह सुनिश्चित करना एवं पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्त्ता को विघटित सामग्रीयों को समर्पित करना एवं उसका रिकॉर्ड बनाये रखना।

(5) **सोलर फोटो-भोल्टेइक मोड्यूल्स या पैनल या सेल के विनिर्माता/उत्पादक :-**

(1) प्रासंगिक नियमावली के नियम–12 के तहत् वर्णित अध्याय के उपबंधो के अधीन सोलर फोटो–भोल्टेइक मोड्यूल्स या पैनल या सेल पर लागू होगा;

(2) सोलर फोटो–भोल्टेइक मोड्यूल्स या पैनल या सेल के प्रत्येक विनिर्माता और उत्पादक द्वारा निम्नलिखित उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना होगा:–

(i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित पोर्टल पर पंजीकरण कराना;

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा–निदेशों के अनुसार वर्षः 2034–2035 तक उत्पन्न सोलर फोटो–भोल्टेइक मोड्यूल्स या पैनल या सेल के अपशिष्ट का भण्डारण करना;

(iii) संबंधित विवरणी जिस वर्ष का है उस वर्ष के अंत में या उससे पहले केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित पोर्टल पर अधिकथित रूप में वार्षिक विवरणी फाईल करना तथा इसे वर्षः 2034–2035 तक फाईल करना;

(iv) सोलर फोटो–भोल्टेइक मोड्यूल्स या पैनल या सेल के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट का प्रसंस्करण तत्समय प्रवृत संबंधित लागू नियमों या दिशा–निदेशों के अनुरूप सुनिश्चित करना;

(v) सोलर फोटो–भोल्टेइक मोड्यूल्स या पैनल या सेल की सूची पोर्टल पर स्पष्ट रूप से रखा जाना सुनिश्चित करना;

(vi) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस संबंध में जारी मानक, संचालन प्रक्रिया एवं दिशा–निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(vii) निर्दिष्ट सामग्रियों की वसूली के लिए सोलर फोटो–भोल्टेइक मोड्यूल्स या पैनल या सेलों के पुनर्चक्रण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनिवार्य किया जाएगा।

(6) **बड़े-उपभोक्ता (Bulk-Consumer)**:– इस नियमावली की अनुसूची–1 में सूचीबद्ध विद्युत एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के उपभोगकर्त्ता द्वारा जनित ई0 अपशिष्ट का निपटान अथवा परिशोधन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पंजीकृत उत्पादकों या नवीनीकरणकर्त्ताओं या पुनर्चक्रणकर्त्ताओं को ही सौंपेगा।

(7) **राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र**:– प्रासंगिक नियमावली के नियम–10 के तहत्

(1) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उद्योग विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य सरकारी अभिकरण, विद्यमान और आगामी औद्योगिक पार्क, सम्पदा और औद्योगिक समूहों में ई० अपशिष्ट के निराकरण एवं पुनर्चक्रण के लिए औद्योगिक स्थान अथवा शेड का निर्धारण या आवंटन सुनिश्चित करना।

(2) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अथवा उनके श्रम विभाग द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य सरकारी अधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा निम्नलिखित कार्यो का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे:–

(क) पुनर्चक्रण एवं निराकरण में शामिल श्रमिकों की मान्यता एवं पंजीकरण को सुनिश्चित करना;

(ख) विघटन सुविधा के स्थापन को सुविधाजनक बनाने हेतु ऐसे कामगारों के समूहों के गठन में सहायता करना;

(ग) विघटन, निराकरण और पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों के लिए औद्योगिक कौशल विकाश क्रिया–कलापों को शुरू करना;

(घ) वार्षिक निगरानी करना तथा विघटन एवं निराकरण तथा पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना।

ई० अपशिष्ट भण्डारण के तौर-तरीके:– प्रत्येक निर्माता, विनिर्माता, नवीनीकरणकर्त्ता एवं पुनर्चक्रणकर्त्ता द्वारा संग्रहित ई० अपशिष्ट का भण्डारण निम्न अवधि तक कर सकते हैं:–

(i) 180 दिनों की अवधि तक;

(ii) भण्डारण की अवधि 365 दिनों तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विस्तारित किया जा सकता है, यदि ई–कचरे को उनके पुनर्चक्रण अथवा पुनः उपयोग के लिये एक प्रक्रिया के विकास के लिये विशेष रूप से संग्रहित करने की आवश्यकता होती है;

(iii) ई0 अपशिष्ट की बिक्री, हस्तांरण एवं भण्डारण का रिकॉर्ड बनाये रखना तथा इन अभिलेखों को निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराना;

(iv) ई0 कचरे का भण्डारण तत्समय प्रवृत सुहांगत लागू नियमों या दिशा–निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

विस्तारित-निर्माता-उत्तरदायित्व (Extended-Producer-Responsibility) की व्यवस्था के तौर-तरीके:-

प्रासंगिक नियमावली के नियम- 13 के तहत्

(1) प्रासंगिक नियमावली की अनुसूची–iii एवं iv के अनुरूप उत्पादकों को अपने विस्तारित–निर्माता– उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु वे किसी तीसरे पक्ष के संगठनों यथा उत्पादक–उत्तरदायितव–संगठनों (PROS), संग्रहण केन्द्रों एवं डिलरों आदि का सहयोग ले सकते हैं परन्तु विस्तारित–निर्माता–उत्तरदायित्व के दायित्व पूर्ण रूप से सिर्फ उत्पादक पर ही होगा;

(2) प्रत्येक उत्पादाकों को विस्तारित–निर्माता–उत्तरदायित्व का निर्धारण पोर्टल पर उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत उत्पाद की जीवन अवधि तथा प्रासंगिक नियमावली की अनुसूची–III एवं IV में निर्दिष्ट लक्ष्यों के आधार पर किया जायेगा;

(3) (i) अपने विस्तारित–निर्माता–उत्तरदायित्व के कर्तव्यों एवं दायित्वों को पूरा करने एवं ऑनलाइन तिमाही विवरणी फाईल करने हेतु विनिर्माता द्वारा पंजीकृत पुनर्चक्रणकत्ताओं से प्रमाणपत्र की ऑनलाइन खरीदगी सुनिश्चित करेगा;

(ii) प्रत्येक उत्पादों के लिये उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी की क्रॉस–चेकिंग की जाऐगी;

(iii) यदि क्रॉस–चेकिंग के दौरान कोई अन्तर पाया जाता है, तो किसी भी अन्तर के मामले में विनिर्माता के विस्तारित–निर्माता–उत्तरदायित्व के दायित्व एवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिये निम्न स्तर के आंकड़े पर विचार किया जाऐगा;

(v) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या इनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकरण द्वारा पर्यावरणीय लेखा परीक्षण के अधीन प्रमाणपत्र होंगे।

दुर्घटना की सूचना देना (Accidental Reporting) :– ई० कचरा के संसाधित करने वाली सुविधा में अथवा परिवहन के दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है, यथास्थिति विनिर्माता, उत्पादक, नवीनीकरणकर्ता, परिवहनकर्ता, भंजक या पुनर्चक्रणकत्ताओं द्वारा इसकी सूचना संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को ई0 मेल और टेलीफोन के माध्यम से तुरंत समर्पित करेगा।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation):– बिना पंजीकृत/पंजीकृत उत्पादकों, विनिर्माताओं, नवीनीकरणकर्त्ताओं, पुनर्चक्रणकर्त्ताओं और किसी भी अन्य इकाई द्वारा प्रासंगिक नियम का उल्लंघन करने, इनके उल्लंघन करने में सहयोग करने, सहायता या प्रोत्साहन देने वाले के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि की गणना कर वसूली किया जायेगा।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान से उन्हें इन नियमों के निर्धारित विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी।

नोटः– (1) कृपया सविस्तार सूचना/जानकारी के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भारत का राजपत्र (The Gazette of India) प्रकाशन सं०–713, अधिसूचना सं० GSR. 801 (E), दिनांक 02.11.2022 का अवलोकन किया जा सकता है।